यह निरीक्षण प्रतिवेदन **बाल विकास परियोजना अधिकारी, नैनीडांडा (पौड़ी गढ़वाल)** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **बाल विकास परियोजना अधिकारी, नैनीडांडा (पौड़ी गढ़वाल)** के माह 05/16 से 08/17 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री रविशंकर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री एस.एस. राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री विजयकुमार, व.ले.प. द्वारा दिनांक 23.09.2017 से 27.09.2017 तक श्री एस.के. जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2015 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** पाबौ, नंदा देवी योजना, वृद्ध महिला पोषण, THR/Cooked food

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रू. लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+) `	बचत (-) `
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16	0	0	19.48	16.93	126.80	119.27	-	10.07
2016-17	0	0	25.49	21.27	126.91	115.53	-	15.60
2017-18 (8/17 तक)	0	0	13.42	07.45	66.30	27.96	-	--

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16	आ.बा. मानदेय	0	47.10	45.65	01.45
	घरेलू हिंसा		0.40	0.40	0.00
2016-17	आ.बा. मानदेय	0	45.93	39.64	06.29
	घरेलू हिंसा		0.20	0.10	0.10
2017-18	आ.बा. मानदेय	0	21.92	21.92	---

(iii) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई (सी) श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव 2. निदेशक 3. डी.पी.ओ. 4. सी.डी.पी.ओ.

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **बाल विकास परियोजना अधिकारी, नैनीडांडा (पौड़ी गढ़वाल)** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **बाल विकास परियोजना अधिकारी, नैनीडांडा (पौड़ी गढ़वाल)** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 06/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। नंदा देवी कन्या योजना, THR/Cooked food का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन लागत एवं व्यय राशि तथा कार्य की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर चयन किया गया। के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर -1 : ब्याज प्राप्ति रू. 19,509/- की धनराशि राजकोष में जमा न कियाजाना ।

उत्तराखंड शासन के वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: U.O. 18/XXVII(6)-टी. सी. ए. 934-2014, दिनाँक 21.04.2017 तथा महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग के आदेश संख्या: 610/XVII(4)/2017-2(8)2017, दिनांक 26.04.2017 के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा परियोजनाओं हेतु धनराशि बैंक खाते में रखकर ब्याज अर्जित किया जाता है और उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा न करते हुए प्रयोग में लिया जा रहा है। यह एक वित्तीय अनियममितता है तथा निर्देशित किया है की जितने भी बैंक खाते है उनमें अर्जित ब्याज की पुष्टि करते हुए तत्काल उक्त धनराशि राज्य सरकार के सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जाय।

इसके अतिरिक्त उत्तराखंड शासन शासनादेश संख्या:99/XXVII(14)/2009 दिनाँक 03.09.2009 द्वारा भी निर्देशित किया गया था कि यदि किसी विशिष्ट कारणों के कारण समेकित निधि से आहरित धनराशि का उपयोग न किया जा सके तथा उस पर ब्याज अर्जित हो तब इस प्रकार अर्जित धनराशि राजकोष में लेखाशीर्षक -0049-ब्याज प्राप्तियाँ, 04 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ, 800 अन्य प्राप्तियाँ, 12-अन्य प्रकीर्ण प्राप्तियों में जमा किया जाय।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, नैनीडांडा, पौड़ी गड़वाल के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि इकाई द्वारा जून 2015 से जून 2017 तक पदनाम बैंक खातों में कुल 19,509/- का ब्याज अर्जित किया गया था जो लेखापरीक्षा तिथि (सितंबर 2017) तक बैंक खाते में ही पड़ी थी। उक्त शासनादेशों के अनुपालन में प्राप्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा किया जाना अपेक्षित था परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक उक्त ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा नहीं की गई थी ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा नहीं की गई है जिसकों शीघ्र राजकोष में जमा कर दिया जाएगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है । अतः रू. 19,509/- की ब्याज की धनराशि राजकोष में जमा न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- विभागीय उदासीनता के कारण नंदा देवी कन्या योजना के अंतर्गत 20 लाभार्थियों को योजना का लाभ से वंचित रखा जाना तथा इन 20 लाभार्थियों को रू. 15000/- प्रति की दर से रू. 3.00 लाख का भुगतान किया जाना लंबित रहना।

राज्य सहायतित नंदा देवी कन्या योजना का लाभ राज्यके उन समस्त निवासियों, जिनके परिवार में 01 जनवरी 2009 के बाद दो जीवित बालिकाओं ने जन्म लिया हो तथा वे इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त की समस्त शर्ते पूरी करते हो, को दिया जाना है। योजनाके अंतर्गत आर्थिक सहायता के रूप में रू. 15000/- की धनराशि तीन किश्तों में प्रदान की जायेगी। प्रथम किश्त केरूप में रू. 5000/- की धनराशि बालिका के अभिभावक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर A/C Payee चैक के माध्यम से कन्या के अभिभावक को प्रदान की जायेगी शेष रू. 10000/- की धनराशि की F.D बैंक में कन्या तथा उसके माता-पिता के नाम से संयुक्त रूप से करायी जाएगी। IInd किश्त के रूप में कन्या द्वारा 10 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर पुनः कन्या के माता-पिता के खाते में E-Transfer के माध्यम से रू. 5000/- की धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। शेष धनराशि को पुनः 8 वर्षों की अवधि के लिये F.D करा दी जाएगी जिसमें से IIIrd एवं अंतिम किश्त के रूप में ब्याज सहित शेष धनराशि लाभार्थी बालिका को उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने Highschool में अध्यानरत होने तथा अविवाहित होने की दशा में प्रदान की जायेगी।

योजना के अभिलेखों को लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि में योजना हेतु कुल 29 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसमें से 09 आवेदन पत्र ही जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजे गए जबकि 20 आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु जिला स्तर (जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय) पर न भेजे जाकर इकाई के पास ही रखे गए थे, जिससे 20 आवेदनकर्ता इस योजना का लाभ से वंचित थे तथा इन आवेदन पत्रों को जिला स्तर पर स्वीकृति हेतु न भेजे जाने से रू. 3,00,000/- की धनराशि का भुगतान लंबित था। लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि वर्तमान में 20 आवेदन पत्रों को जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय को भेजा जाना लंबित है तथा 3.00 लाख की धनराशि का भुगतान होना लंबित है। इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है अतः विभागीय उदासीनता के कारण 20 लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित थे जिनको रू. 15000/- प्रति की दर से रू. 3.00 लाख का भुगतान किया जाना लंबित रहने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग -2 'ब'</u>

प्रस्तर– 3: वर्ष 2016-17 में रू. 50.58 लाख की धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त न किया जाना।

उत्तराखंड शासन के पत्रांक: 460/XVII(4)/2016-129/06TC, दिनाँक 10.02.2016 तथा आई. सी. डी. एस. निदेशालय देहरादून के पत्रांक: C-29/रिपोर्ट/14/2017-18, दिनाँक 05.04.2017 द्वारा मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रियान्वयन हेतु आंगनवाड़ी केन्द्रों की माता समितियों को हस्तांतरित धनराशि के व्यय होने के पश्चात संबन्धित मुख्य सेविका द्वारा उसका उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना चाहिए तथा प्रस्तुत उपभोग प्रमाण पत्र के आंकड़ों को संकलित करते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय को प्रेषित किया जाना चाहिए।

बाल विकास परियोजना अधिकारी, नैनीडांडा, पौड़ी गड़वाल के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि मुख्यमंत्री वृद्ध महिला पोषण योजना के क्रियान्वयन हेतु इकाई द्वारा वर्ष 2016-17 में रु. 3.00 लाख की धनराशि e-transfer/payment (बिल संख्या 37 व 38) द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों की माता समितियों के खातों में हस्तांतरित की गई थी जिसके उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाने अपेक्षित थे परंतु इकाई द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे ।

इसके अतिरिक्त इकाई द्वारा अनुपूरक पोषाहार (THR/Cooked food) के अंतर्गत वर्ष 2016-17 में 50.50 लाख की धनराशि आवंटित हुई थी जिसके सापेक्ष इकाई द्वारा वर्ष 2016-17 में रु 47.58 लाख का व्यय किया गया था तथा अवशेष धनराशि समर्पित की गई थी। व्यय की गई धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त किए जाने अपेक्षित थे परंतु इकाई द्वारा उपभोग प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा तिथि तक प्राप्त नहीं किए गए थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने हेतु सुपरवाईजरों को निर्देशित किया जाएगा तथा उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु शीघ्र निर्देश जारी कर दिया जाएगा।

इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति कि पुष्टि करता है । अतः वर्ष 2016-17 मेंरू. 34.77 लाख की धनराशि के उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त न करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है ।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
यह इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **बाल विकास परियोजना अधिकारी, नैनीडांडा (पौड़ी गढ़वाल)** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**
   (i) शून्य
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र.सं.	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री एस.के. त्रिपाठी	सी.डी.पी.ओ.	01.05.16 से 25.01.17
2.	श्री सुनील कुमार	सी.डी.पी.ओ.	26.01.17 से 31.03.17
3.	श्री एस.के. त्रिपाठी	सी.डी.पी.ओ.	01.04.17 से 14.06.17
4.	श्री जितेन्द्र कुमार	सी.डी.पी.ओ.	15.06.17 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **बाल विकास परियोजना अधिकारी, नैनीडांडा (पौड़ी गढ़वाल)** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र